International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 4 Issue 4, July -August, 2016, Impact Factor: 1.554

नारीवाद

Vinod Kumar

Roll No. 314

Resarch Scholar, Department of Political Sciense, M.D. University, Rohtak (Haryana).
PIN- 124001.

भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरूषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं।

प्राचीन भारत

विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था। हालांकि कुछ अन्य विद्वानों का नजरिया इसके विपरीत है पतंलजि और कात्यायन जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों का कहना है कि प्रारम्भिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद रचनाएं यह बताती है कि महिलाओं की शादी एक परिपक्व उम्र में होती है और सम्भवतरू उन्हें अपना पति चुनने की भी आजादी थी। ऋग्वेद और उपनिषद् जैसे ग्रंथ कई महिला साध्वियों और सन्तों के बारे में बताते हैं जिनमें गार्गी और मैत्रेयी के नाम उल्लेखनीय हैं।

अध्ययनों के अनुसार प्रारम्भिक वैदिक काल में महिलाओं को बराबरी का दर्जा और अधिकारी मिलता था परन्तु बाद में (लगभग 500 ईसा पूर्व में) स्मृतियों (विशेषक मनुस्मृति) के साथ महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गयी और बाबर एवं मुगल साम्राज्य के इस्लामी आक्रमण के साथ और इसके बाद ईसायत ने महिलाओं की आजादी और अधिकारों को सीमित कर दिया। लेकिन जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलन में महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने की अनुमति दी गयी है। भारत में महिलाओं को कमोवेश दासता और बंदिशों का ही सामना करना पड़ा है माना जाता है कि बाल विवाह प्रथा छठी शताब्दी के आस–पास शुरू हुई थी।

मध्ययुगीन काल

समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान अधिक गिरावट आई जब भारत के कुछ समुदायों में सती–प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह, पुनर्विवाह पर रोक, सामाजिक जिंदगी

का हिस्सा बन गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की जीत पर्दा प्रथा को भारतीय समाज में ला दिया। राजस्थान के राजपूतों में जौहर की प्रथा थी। भारत के कुछ हिस्सों में देवदासियां या मन्दिर की महिलाओं को यौन शोषण का शिकार होना पड़ा था। बहु विवाह की प्रथा हिन्दू क्षत्रिय शासकों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। कई मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को जनाना क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया था।

इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की।

रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली एक मात्र महिला बनी। गोंड की महारानी दुर्गावती ने 1564 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले पन्द्रह (15) वर्षों तक शासन किया था। चांद बीबी ने 1590 के दशक में अकबर के शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया और मुगल राजगद्दी के पीछे वास्तविक शक्ति के रूप में पहचान हासिल की। मुगल रालकुमारी जहांआरा और जेबुन्निसा सुप्रसिद्ध कवियित्रियां थी और जीजाबाई को एक पोदा और प्रशासक के रूप में उनकी क्षमता के कारण क्वीन रेजिमेंट में पद स्थापित किया गया था। दक्षिण भारत में कई महिलाओं ने गांव, शहरों व जिलों पर शासन किया और सामाजिक व धार्मिक अनुष्ठानों की स्थापना की।

भक्ति आंदोलन

भक्ति आंदोलन की बेहतर स्थिति को वापस हासिल करने की कोशिश की ओर प्रभुत्व के स्वरूपों पर सवाल उठाया। एक महिला संत–कवयित्री मीरां बाई भक्ति आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक थी। इस अवधि की कुछ अन्य संत–कवयित्रियों में अबका महादेवी, रानी जानाबाई और लाल देद शामिल हैं। हिन्दूत्व के अंदर महानुभाव वरकाकी और कई महिलाओं के बीच सामाजिक न्याय और समानता की खुले तौर पर वकालत करने वाले प्रमुख आंदोलन थे।

भक्ति आंदोलन के कुछ समय बाद सिखों के पहले गुरू गुरूनानक ने भी पुरूषों ओर महिलाओं के बीच समानता का संदेश प्रचारित किया। उन्होंने महिलाओं को धार्मिक संस्थानों का नेतृत्व करने सामुहिक प्रार्थना के रूप में गाये जाने वाले कीर्तन या भजन को गाने और इनकी अगुवाई करने धार्मिक प्रबंधन समितियों के सदस्य बनने, युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करने, विवाह में बराबरी का हक और अमृत (दीक्षा) समानता देने की वकालत की। अन्य सिख गुरूओं ने भी महिलाओं के प्रति भेदभाव के खिलाफ उपदेश दिए।

एतिहासिक प्रथाएं

कुछ समुदायों में सती जौहर और देवदासी जैसी परम्पराओं पर प्रतिबंध लगा दिया था और आधुनिक भारत में ये कुछ हद तक समाप्त हो चुकी है। हालांकि इन प्रथाओं के कुछ मामले भारत में ग्रामीण इलाकों में आज भी देखो जाते हैं। कुछ समुदायों में भारतीय महिलाओं के द्वारा पर्दा प्रथा को आज भी जीवित रखा गया है और विशेषकर भारत के वर्तमान के कानून एक गैर–कानूनी कृत्य होने के बावजूद बाल विवाह आज भी प्रचलित है।

सती प्रथा

सती प्रथा एक प्राचीन और काफ हद तक विलुप्त रिवाज है। कुछ समुदायों में विधवा को अपने पति की चिता में अपने जीवित आहूति देने पड़ती थी। हालांकि यह कृत्य विधवा की ओर से स्वैच्छिक रूप से उम्मीद की जाती थी। ऐसा माना जाता है की कई बार इसके लिए विधवा को मजबूर किया जाता था। 1829 में अंग्रेजों ने इसे समाप्त कर दिया। आजादी के बाद से सती होने के लगभग चालीस मामले प्रकाश में आए हैं। 1987 में राजस्थान की रूपकंवर का मामला सती प्रथा (रोक) अधिनियम का कारण बना।

जौहर

जौहर का मतलब हारे हुए (सिर्फ राजपूत) योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों के शत्रु द्वारा बंदी बनाए जाने और इसके बाद उत्नीडन से बचने के लिए स्वैच्छिक रूप से अपनी आहूति देने की प्रथा है। अपने सम्मान के लिए मर मिटने वाली पराजित राजपूत शासकों की पत्नियों द्वारा इस प्रथा का पालन किया जाता था। यह कुप्रथा केवल भारतीय राजपूतों ने या शायद एक आध किसी दूसरी जाति की स्त्री ने सती (पति की मृत्यु होने पर उसकी चिता में जीवित जल जाना) जिसे उस समय के समाज का एक वर्ग पुनीत धार्मिक कार्य मानने लगा था। कभी भी भारत की दूसरी लड़का कोमो या जिन्हें इंग्लिश में (मार्शल कौम) माना गया। उनमें यह कुप्रथा कभी भी कोई स्थान न पा सकी। जाटों की स्त्रियां युद्ध में पति के कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए शहीद हो जाती थी। मराठा महिलाएं भी अपने योद्धा पति की युद्धभूमि में पूरा साथ देती रही हैं।

पर्दा

पर्दा वह प्रथा है जिसमें कुछ समुदायों में महिलाओं को अपने तन को इस प्रकार से ढ़कना होता है कि उनकी त्वचा और रंग–रूप का किसी को अंदाजा ना लगे, यह महिलाओं के क्रिया कलापों को सीमित कर देता है। यह आजादी से मिलने जुलने के उनके अधिकार को सीमित करता है और यह महिलाओं की अधिनता का प्रतीक है। आम धारणा के विपरीत यह ना तो हिन्दूओं और ना ही मुसलमानों के धार्मिक उपदेशों को प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि दोनों सम्प्रदायों के धार्मिक नेताओं की लापरवाही और पूर्वाग्रहों के कारण गलतफहमी पैदा हुई है।

देवदास

देवदासी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में एक धार्मिक प्रथा है जिसमें देवता या मन्दिर के साथ महिलाओं की शादी कर दी जाती है। यह परम्परा दसवीं सदी ए.डी तक अच्छी तरह अपनी पैठ जमा चुकी थी बाद की अवधि में देवदासियों का अवैध यौन उत्पीडन भारत के कुछ हिस्सों में एक रिवाज बन गया।

अंग्रेजी शासन

यूरोपीय विद्वानों ने 19वीं शताब्दी में महसुस किया की हिन्दू महिलाएं स्वाभाविक रूप से मासूम और अन्य महिलाओं से सच्चरित्र होती है। अंग्रेजी शासन के दौरान राजा राम मोहनराय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले आदि जैसे कई समाज सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के लिए लड़ाईयां लड़ी। परन्तु इस सूची से यह पता चलता है कि राज युग में अंग्रेजों का कोई भी सकारात्मक योगदान नहीं था। यह पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि मिशनरियों की पत्नियां जैसे की मार्थ मौन्ट नी मिड़ और उनकी बेटी एलेजा काल्डवेल नी मौल्डा को दक्षिण भारत में लड़कियों की शिक्षा और परीक्षण के लिए आज भी याद किया जाता है। यह एक ऐसा प्रयास था जिसकी शुरूआत स्थानीय स्तर पर रूकावटों का सामना करना पड़ा क्योंकि इसे परम्परा के अनुरूप अपनाया गया था। 1829 में गर्वनर जनरल विलियम बैंटिक के तहत राजा राम मोहनराय के प्रयास सती प्रथा के उन्मूलन का कारण बना। विधवाओं की स्थाि्ति को सुधारने में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के संघर्ष का परिणाम विधवा पुनरू विवाह अधिनियम 1956 के रूप में सामने आया। कई महिला सुधारकों जैसे कि पंडित रमाबाई ने भी महिला शक्तिकरण के उद्देश्य हासिल करने में मदद की।

कर्नाटक के कित्तुर रियासत की रानी कित्तुर चेन्नन्मा ने समाप्ति के सिद्धान्त की प्रतिक्रया में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। तटीय कर्नाटक की महारानी अब्बक्का रानी ने 16वीं सदी में हमलावर यूरोपिय सेनाओं उल्लेखनीय से पूर्तगाली सेना के खिलाफ सुरक्षा का नेतृत्व किया। झांसी की महारानी लक्ष्मी बाई ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह का झण्डा बुलंद किया। आज सर्वत्र एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में जाना जाता है। अवध की सह शासिका हजरत महल एक अन्य शासिका थी जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने अंग्रेजों के साथ सौदेबाजी से इन्कार कर दिया और बाद में नेपाल चली गयी। भोपाल की बेगम भी इस अवधि के कुछ उल्लेखनीय महिला शासिकाओं में शामिल थी। उन्होंने पर्दा प्रथा को नहीं अपनाया और मार्शल आर्ट का भी प्रशिक्षण लिया।

चन्द्रमुखी बसु कादंबिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी कुछ शुरूआती भारतीय महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने शैक्षणिक डिग्रियां हासिल की। 1917 में महिलाओं के पहले प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों की मांग के लिए विदेशी सचिव से मुलाकात की जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन हासिल था। 1927 में अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया था। 1929 में मोहम्मद अली जिन्नला के प्रयासों से बाल निषेध अधिनियम को पारित किया गया जिसके अनुसार एक लड़की की आयु शादी के लिए न्यूनतम उम्र चौदह वर्ष निर्धारित की थी। परन्तु महात्मा गांधी ने स्वय्र तेरह वर्ष की उम्र में शादी की बाद में उन्होंने लोगों से बाल विवाह का बहिष्कार करने का आह्वान किया और युवाओं से विधवाओं के साथ शादी करने की अपील की।

भारत की आजादी के संघर्ष में महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भिकाजी कामा, डा. एनिबेसेन्ट, प्रीतीलता वाडेकर, विलस लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अरूणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और कस्तुरबा गांधी कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल थी। अन्य उल्लेखनीय नाम हैं मुथुलक्ष्मी रेड्डी, दुर्गा बाई देशमुख आदि सुभाष चन्द्र बोस इंडियन नैशनल आर्मी की झांसी की रानी रेजिमेंट कैप्टेन लक्ष्मी सहगल सहित पूरी तरह महिलाओं की सेना थी। एक कवियित्री और स्वनंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय क्रांगेस की अध्यक्ष बनने वाली नहली महिला राज्यपाल थी।

स्वतंत्र भारत

भारत में महिलाएं अब सभी तरह की गतिविधियों जैसे कि शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति सेवा क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी आदि में हिस्सा ले रही हैं। इन्दिरा गांधी जिन्होंने कुल मिलाकर 15 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रधानमंत्री हैं।

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार (धारा–14) राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने (धारा–15–एक) अवसर की समानता (धारा–16) समान कार्य के लिए समान वेतन (धारा–39–घ) की गारन्टी देता है। इसके अलावा यह महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रबंध बनाए जाने की अनुमति देता है। (धारा–15–तीन) महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने (धारा–15–ए) और साथ ही काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियां सुरक्षित करने और प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों की तैयार करने की अनुमति देता है (धारा–42)।

भारत की नारीवादी सक्रियता ने 1970 के दशक के उतरार्द्ध के दौरान रफ्तार पकड़ी। महिलाओं के संगठनों को एक साथ लाने वाले पहले राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में से एक मधुरा बलात्कार का मामला था। एक थाने (पुलिस स्टेशन) में मधुरा नामक युवती के साथ बलात्कार के आरोपी पुलिसकर्मियों के बरी होने की घटना 1979–80 के एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का कारण बनी। विरोध प्रदर्शन को राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया गया और सरकार साक्ष्य अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता को संशोधित करने और हिरासत में बलात्कार की श्रेणी को शामिल करने के लिए मजबूर किया गया। महिला कार्यकर्ता कन्या भ्रूण हत्या, लिंग भेद महिला स्वास्थ और महिला साक्षरता जैसे मुद्दों पर एकजुट हुई।

चुकि शराब की लत को भारत में अक्सर महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जोड़ा जाता है। महिलाओं के कई संगठनों ने आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों में शराब–विरोधी अभियानों की शुरूआत की। कई भारतीय मुस्लिम महिलाओं ने शरीयत कानून के तहत महिला अधिकरों के बारे में रूढ़ीवादी नेताओं की व्याख्या पर सवाल खड़े किए और तीन तलाक की व्याख्या सवाल खड़े किए और तीन तलाक की व्यवस्था की आलोचना की।

1990 के दशक में विदेशी दाता एजेसियों से प्राप्त अनुदानों ने नई महिला–उन्मुख गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के गठन को स्वयं बनाया स्वयं–सहायता समूहों एवं सेल्फ इम्पलायड वूमेंस एसोसिएशन (सेवा) जैसे (एनजीओ) ने भारत में महिलाओं के अधिकरों के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। कई महिलाएं स्थानीय आंदोलनों की नेताओं के रूप में उभरी हैं। उदाहरण के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटेकर।

भारत सरकार ने 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण (स्वशासित) वर्ष के रूप में घोषित किया था। महिलाओं के सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 में पारित की गयी थी। 2006 में बलात्कार की शिकार एक मुस्लिम महिला इमराना की कहानी मीडिया में प्रचाारित की गई थी। इमराना का बलात्कार उसके ससुर ने किया था कुछ मुस्लिम मौलवियों की उन घोषणाओं का जिसमें इमराना को अपने ससुर से शादी कर लेने की बात कही गया थी व्यापक रूप से विरोध किया गया और इमराना के ससुर को

10 साल की कैद कर दी गई थी। कई महिला संगठनों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा इस फैसले का स्वागत किया गया। अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल को पारित कर दिया जिसमें संसद और राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की।

उनकी स्थिति में लगारतार परिवर्तन को देश में महिलाओं द्वारा हासिल उपलब्धियों के माध्यम से उजागर किया जा सकता है–

' 1879 में जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बिधुयन ने 1849 में बिधुयन स्कूल स्थापित किया जो 1879 में बिधयुन कॉलेज बनने के साथ भारत का पहला महिला कॉलेज बन गया।

' 1883 में चप्द्रमुखी बसु और कादम्बिनी गांगुली ब्रिटिश–साम्राज्य और भारत में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी।
' 1886 में कादम्बिनी गांगुली और आनंदी जोशी पश्चिमी दवाओं में प्रशिक्षित होने वाली भारत की पहली महिलाएं बनी।
' 1905 में कार चलाने वाली पहली भारतीय महिला सुजान आरडी टाटा थी।
' 1916 में पहला महिला महाविद्यालय, एसएनडीटी महिला–विश्वविद्यालय की स्थापना समाज सुधारक धौड़ो केशव कर्वे द्वारा केवल पांच छात्रों के साथ 2 जून 1916 को की गई।
' 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी।
' 1919 में पंडित रामाबाई, अपनी प्रतिष्ठित समाज सेवा के कारण ब्रिटिश राज द्वारा केसर–ए–हिन्द सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी।
' 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय मूल की पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी।
' 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई।
' 1944 में आसिम चटर्जी ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्हें किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
' 1947रू 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू संयुक्त प्रदेशों की राज्यपाल बनी और इस तरह वे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी।
' 1951 में डेक्कन एयरवेज की प्रेम माथुर प्रथम भारतीय महिला (और पहली भारतीय) अध्यक्ष बनी।
' 1959 में अन्ना चाण्डी पहली भारतीय महिला जज बनी (केरल उच्च न्यायालय)।
' 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी किसी भी भारतीय राज्य में यह पद संभालने वाली वे पहली महिला थी।
' 1966 में कैप्टेन दुर्गा बनर्जी सरकारी एयरलाइन्स भारतीय एयरलाइन्स की पहली महिला पायलअ बनी।
' 1966 में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने समुदाय नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेस प्ररस्कार प्राप्त किया।
' 1966 में इन्दिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी।
' 1970 में कमलजीत संधू एशियन गेम्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी।
' 1972 में किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती होने वाली पहली भारतीय महिला थी।
' 1979 में मदर टेरेसा ने नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी।

' 1984रू 23 मई 1984 को बचेन्द्रीपाल माउंट एवरेस्ट पर चढने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
' 1989 में न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला जज बनी।
' 1997 में कल्पना चावला भारत में जन्मी ऐसी प्रथम महिला थी जो अंतरीक्ष में गई।
' 1992 में प्रिया झिंगन भारतीय थल सेना में भर्ती होने वाली प्रथम महिला कैडेट थी (6 मार्च 1993 को उन्हें कमीशन किया गया)।
' 1994 में हरिता कौर देओल भारतीय वायुसेना में अेकेले जहाज उड़ाने वाली भारतीय महिला पायलेट बनी।
' 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी (सीडनी–2000 के समर ओलंपिक में कांस्य पदक)।
' 2002 में लक्ष्मी सहगल भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी होने वाली पहली महिला बनी।
' 2004 में पूनित अरोड़ा भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के सर्वोच्चय पद तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी।
' 2007 में प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी।
' 2009 में मीरा कुमार भारतीय संसद लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी।
' नोट 16वीं लोकसभा की भारतीय संसद में 65 सांसद महिला हैं।

संस्कृति

पूरे भारत में महिलाएं साड़ी (शरीर के चारों ओर घेरकर पहना जाने वाला एक कपड़ा का लंबा टुकड़ा) और सलवार कमीज पहनती हैं। बिंदी महिलाओं के श्रृंगार का एक हिस्सा है। परम्परागत रूप से विवाहित हिन्दू महिलाएं लाल बिंदी और सिंदूर लगाती है लेकिन अब ये महिलाओं के फैशन का हिस्सा बन गया है। 1992–93 आंकड़ों के अनुसार भारत में केवल 9.2 प्रतिशत घरों में महिलाएं मुखिया की भूमिका में है। परन्तु गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में लगभग 35 प्रतिशत को महिला मुखिया द्वारा संचालित पाया गया है।

शिक्षा

भारत में महिला साक्षरता दर धीरे–धीरे बढ़ रही है लेकिन यह पुरूष साक्षरता दर से कम है। लड़कों की तुलना में बहुत ही कम लड़कियां स्कूलों में दाखिला लेते हैं। 1997 के नैशनल सैम्पल सर्वे डाटा के मुताबिक केवल केरल और मिजोरम राज्यों ने सार्वभौमिक महिला साक्षरता दल को हासिल किया है ज्यादातर विद्वानों ने केरल में महिलाओं की बेहतर सामाजिक और आर्थिक स्थिति के पीछे प्रमुख कारक साक्षरता को माना है।

अमेरिका के वाणिज्य विभाग की 1998 की एक रिर्पोट के मुताबिक भारत में महिलाओं की शिक्षा की एक मुख्य रूकावट अपर्याप्त स्कूली सुविधाएं (जैसे की स्वच्छता संबंधी सुविधाएं) महिला शिक्षकों की कमी और पाठ्यक्रम में लिंग भेद है।

नोट शहरी भारत में लड़कियों की शिक्षा के मामले में लड़कों के लगभग साथ–साथ चल रही है। परन्तु ग्रामीण भारत में लड़कियों को आज भी लड़कों की तुलना में कम शिक्षित किया जाता है।

श्रमशक्ति की भागीदारी

आम धारणा के विपरीत महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत कामकाजी है। एक उदाहरण के तौर पर सॉफ्टवेयर उद्योग में 30 प्रतिशत कर्मचारी महिलाएं हैं। वे पारिश्रमिक और कार्यस्थल पर अपनी स्थिति के मामले में अपने पुरूष सहकर्मियों के साथ बराबरी है। 1991 की विश्व बैंक की रिर्पोट के अनुसार भारत में डेयरी उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी कुल रोजगार का 94 प्रतिशत है। वन आधारित लघु स्तरीय उद्योगों में महिलाओं की संख्या कुल कार्यरत श्रमिकों का 51 प्रतिशत है।

इण्डिया टूडे की रिर्पोट के अनुसार भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक को संचालित करती है, इसके अतिरिक्त भारतीस रिर्जव बैंक के केन्द्रिय निदेशक बोर्ड में भी दो महिलाओं को स्थान प्राप्त है– इला भट्ट इन्दिरा राजारमन।
नोट 2013 अक्टूबर–नवम्बर में भारत की लगभग आधे बैंक व वित्त उद्योग की अध्यक्षता महिलाबों के हाथ में थी।

महिलाओं के विरूद्ध अपराध

पुलिस रिकॉर्ड में महिलाओं के खिलाफ भारत में अपराधों को उच्चतर दिखार्द पड़ता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों ने 1998 में यह जानकारी दी थी कि 2010 तक महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की विकास दर जनसंख्या की वृद्धि दर कहीं ज्यादा हो जाएगी। पहले बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों को इनसे जुड़े सामाजिक कलंक की वजह से कई मामलों को पुलिस में दर्ज नहीं कराया जाता था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों की संख्या में नाटकीय वृद्धि हुई है।

दहेज प्रथा

1961 में भारत सरकार ने वैवाहिक व्यवस्थाओं में दहेज की मांग को अवैध करार देने वाला दहेज अधिनियम पारित किया, परन्तु दहेज संबंधी घरेलु हिंसा, आत्महत्या और हत्या के बड़े मामले दजर्ल किए गए हैं। 1980 के दशक में कई ऐसी मामलों की सूचना दी गई थी।

बाल विवाह

भारत में बाल विवाह परम्परागत रूप से प्रचलित रही है और यह प्रथा आज भी जारी है। एतिहासिक रूप से कम उम्र की लड़कियों को यौवनावस्था तक पहुंचने से पहले अपने माता–पिता के साथ रहना पड़ता था। पुराने जमाने में बाल विधवाओं को एक बेहद यातनापूर्ण जिंदगी देने, सर को मुंडाने, अलग–थलग रहने और समाज कसे बहिस्कृत करने का दंड दिया जाता था।

जन्म से पहले अनचाही कन्या संतान से छुटकारा पाने के लिए इन परीक्षणों का उपयोग करने की घटनाओं के कारण बच्चे के लिंग निर्धारण में इस्तेमाल किए जा सकने वाले सभी चिकित्सकीय परीक्षणों पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या शिशु हत्या आज भी प्रचलित है। भारत में दहेज परम्परा का दुरूपयोग लिंग–चयनात्मक गर्भपातों और कन्या शिशु हत्या आज भी प्रचलित है। भारत में दहेज परम्परा का दुरूपयोग लिंग–चयनात्मक गर्भपातों और कन्या शिशु हत्याओं के लिए मुख्य कारणों में से एक है।

घरेलु हिसां की घटनाएं निम्र स्तरीय सामाजिक आर्थ्कि वर्गों में अपेक्षाकृत अधिक होती है। घरेलु हिंसा कानून 2005 में महिलाओं का संरक्षण 26 अक्टूबर 2005 को अस्त्वि में आया।

तस्करी प्रथा

अनैतिक तस्करी (रोक) अधिनियम 1956 में पारित किया गया था परन्तु युवा लड़कियां और महिलाओं की तस्करी के मामले दर्ज किए गए हैं। इन महिलाओं को वेश्यावृति, घरेलु कार्य या बालश्रम के लिए मजबूर किया जाता है।

अन्य चिंताएं

स्वास्थ्य

भारत में महिलाओं की औसत आयु की प्रतिशतता आज कई देशों की तुलना में कहीं कम है लेकिन इसमें पिछले कुछ वर्षों में धीर–धीरे सुधार सुधार देखा जा रहा है। कई परिवारों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां और महिलाओं को परिवार में पोषण संबंधी भेदभाव का सामना करना पड़ता है और ये कमजोर एवं कुपोषित होती हैं।

भारत में मातृत्व संबंधी मृत्युदर दुनिया भर में दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर है। देश में 42 प्रतिशत जन्मों की निगरानी पेशेवर स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा की जाती है। ज्यादातर महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए परिवार की किसी महिला की जन्म लेते हैं जिसके पास अक्सर ना तो इस कार्य की जानकारी होती है और ना ही मां की जिंदगी खतरे में पडने पर उसे बचाने की सुविधा मौजूद होती है। यूएनडीपी मानव विकास रिर्पोट (1997) के अनुसार 88 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं (15–49 वर्ष आयु के वर्ग में) रक्ताल्पता (एनीमिया) से पीडित पायी गई थी।

परिवार नियोजन

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में औसत महिलाओं के पास अपनी प्रजनन अक्षमता पर थोड़ा या कोई नियंत्रण नहीं होता है। महिलाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के पास गर्भनिरोध के सुरक्षित एवं आत्म–नियंत्रित तरीके उपलब्ध नहीं होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नसबंदी जैसा स्थायी तरीका या कोई आईयूडी जैसे लंबी–अवधि के तरीकों पर जोर देती हैं जिसके लिए बार–बार निगरानी की जरूरत नहीं है। कुल गर्भनिरोधक उपायों में से 75 प्रतिशत से अधिक नसबंदी होती है जिसमें महिला नसबंदी कुल नसबंदी में तकरीबन 95 प्रतिशत तक होती है।

उल्लेखनीय भारतीय महिलाएं

कला और मनोरंजन

एम एस सुब्बुलक्ष्मी गंगुबाई हगला, लता मंगेशकर और आशा भौंसले जैसी गायिकाएं एवं वोकलिस्ट और एश्वर्या राय अभिनेत्रियों को भारत में काफी सम्मान दिया जाता है।

खेल भारत में सामान्य खेल परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं है। कुछ भारतीय महिलाओं ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। कुछ प्रसिद्ध महिला खिलाडियों में पी टी ऊषा, जे जे शोभा, कुंजरानी देवी, डायना एडल्जी, मेरीकोम, साईना नेहवाल, सानिया मिर्जा आदि शामिल हैं।

राजनीति

भारत में पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से दस लाख से अधिक महिलाओं ने सक्रीय रूप से राजनैतिक जीवन में प्रवेश किया है। 73वें और 74वें संविधान संसोधन अधिनियमों के अनुसार सभी निर्वाचित स्थानीय निकाय अपनी सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित रखते हैं।

संदर्भ

1. भारतीय जनगणना रिर्पोट–2011
2. भारतीय शासन एवं राजनीति, बी एल फडीया
3. भारत का संविधान
4. प्रतियोगिता दर्पण
5. इण्डिया टूडे